अध्याय-20

आवंटिती संस्था द्वारा भवन का निर्माण

भवन निर्माण से संबंधित निम्न दिशानिर्देश लागू होंगे:-

(क) बिल्डिंग प्लान स्थानीय निकाय द्वारा भूमि पर कब्जे के हस्तांतरण की तिथि के बाद एक वर्ष की अवधि के भीतर स्वीकृत होने चाहिए;

(ख) दखलकारी प्रमाणपत्र की प्राप्ति बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति के बाद 3 वर्ष के भीतर की जानी चाहिए तथा पूर्णता प्रमाणपत्र एवं प्लान बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति के बाद 4 वर्ष के भीतर भूमि एवं विकास विभाग को सौंप दिया जाना चाहिए।

(ग) निर्माण की अवधि के दौरान, अर्थात स्थानीय निकाय द्वारा दखलकारी प्रमाणपत्र की स्वीकृति की तिथि तक, भंडारण तथा सुरक्षा हेतु अस्थाई सरंचनाओं को पट्टादाता द्वारा आपत्ति नहीं की जानी चाहिए, तथा

(घ) यदि संस्था भवन निर्माण हेतु धन के अभाव के कारण प्रमाणिक गतिविधियों के संचालन के लिए, भवन निर्माण हेतु अवधि विस्तार प्रदान किए जाने तक अस्थाई निर्माण करता है, तो ऐसे अस्थाई निर्माण के लिए आपत्ति नहीं की जानी चाहिए जो अनुमन्य सीमा के भीतर हो।

[शहरी विकास मंत्रालय पत्र सं. 344/94-एलडी दिनांकित 21.3.1994]